

कार्यालय— अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय—आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 के नियम-21(2) में निहित प्राविधानों के अनुसार अपर निदेशालय, गढ़वाल मण्डल स्तर से किये जाने वाले स्थानान्तरण हेतु मण्डलीय स्थानान्तरण गठित समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित वैक्सनेटर का उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में वर्णित स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

वैक्सनेटर का अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र० सं०	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
02	श्री राय सिंह रावत, वैक्सनेटर	रा०प०चि० अगस्तमुनि, रूद्रप्रयाग	रा०प०चि० सुमाड़ी भरदार, रूद्रप्रयाग	निजी अनुरोध

स्थानान्तरित कार्मिक को बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये एक सप्ताह के भीतर कार्यमुक्त किया जाय, किसी भी कार्मिक के स्थानान्तरण रोकने हेतु उनका स्वयं एवं किसी सम्बन्धी का प्रत्यावेदन अग्रसारित न किया जाय, यदि कोई कर्मचारी स्थानान्तरण रोकने का प्रयास करता है तो सम्बन्धित कर्मचारी के कृत्य एवं आचरण को स्थानान्तरण अधिनियम 2017 का उल्लंघन मानते हुये उनके विरुद्ध संगत प्राविधानों के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानान्तरण भत्ते हेतु अर्ह नहीं होंगे।

ह०/—(डा० अशोक कुमार)

अपर निदेशक।

पृ०सं० 547

प्रतिलिपि:

- 1— सम्बन्धित कर्मचारी को अनुपालनार्थ।
- 2— सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी।
- 3— मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, रूद्रप्रयाग।
- 4— सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 5— निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

/स्था०-2/स्थाना०-वैक्सनेटर/2023-24 दिनांक 10/06/2023
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा० अशोक कुमार)
अपर निदेशक।